भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 86

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक

86. श्रीमती हरिसमरत कौर बादल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब सरकार के इस दावे की ओर दिलाया गया है कि सरकार आयुष्मान योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रूपए का भुगतान रोक रही है जिससे कि आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के वायदे को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उन फर्जी रोगियों/चिकित्सकों/कर्मचारियों की ओर भी दिलाया जाता है जिनकी दवाइयां और वेतन का भुगतान केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक द्वारा किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य का पता लगाने के लिए इस मामले का कोई आकलन/तथ्य अन्वेषण/जांच शुरू की है ताकि आयुष्मान निधि का प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए दुरूप्रयोग न किया जा सके; और

(ड.) इस संबंध में सरकार का विस्तृत दृष्टिकोण क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ड़): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव एनएचएम

के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त होते हैं और भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

व्यय विभाग (डीओई) के दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। पैरा (4) में निर्धारित अनिवार्य शर्तों में से एक इस प्रकार है:

'सभी मंत्रालयों की सभी योजनाओं में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के आधिकारिक नामों का पूर्ण अनुपालन [स्थानीय भाषा में सही अनुवाद अनुमेय है] और सीएसएस की ब्रांडिंग के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए।'

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) और पंजाब सरकार के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक (संदर्भ अशा. सं. जेड-14011) /1/2022-एनएचएम-II भाग-7) दिनांक 16 जनवरी, 2023) को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए । (एनएचएम का **खंड 10.3** निर्दिष्ट करता है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मिशन के तहत परिकल्पित कार्यक्रम/कार्यकलाप का कार्यान्वयन एनएचएम के कार्यान्वयन की रूपरेखा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार है।"

एनएचएम का खंड 10.10 निर्दिष्ट करता है कि "राज्य सरकार एनएचएम के कार्यान्वयन के संबंध में जारी सभी मौजूदा मैनुअल, दिशानिर्देशों, निर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन करेगी, जो इस एमओयू के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।" उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) (जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है) की ब्रांडिंग की गई है दिनांक 30 मई 2018 पत्र संख्या अशा.पत्र.जेड-15015/11/2017-एनएचएम-I के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इस अनुपालन की समीक्षा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों और पत्राचार में की गई थी। एबी -एचडब्ल्यूसी का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने के लिए 25 नवंबर अ.शा.सं. -28015/201/2023- एनएचएम- I भी राज्य के साथ साझा किया गया है।

पंजाब सरकार ने पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पर डीओई ने अनिवार्य अनुपालन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और एमआरएचएफडब्ल्यू , भारत सरकार और राज्य के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के खंड 10.3 और 10.10 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जैसे कि भारत सरकार और राज्यों ने ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-स्वास्थ्य और आरोग्य

केंद्र (पीएचसी-एचडब्ल्यूसी) को आम आदमी क्लिनिक के रूप में ब्रांड किया है न कि आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर) राज्य ने कलर स्किन का भी अनुपालन नहीं किया है और न ही छह लोगो प्रदर्शित किए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मुद्दे पर राज्य को सूचित करते हुए विभिन्न पत्र लिखे हैं और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी ।

एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय हिस्से का आवंटन 457.90 रु .करोड़ है। आज की तारीख में जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा 62.29 करोड़ रुपये है और जारी किया जाने वाला केंद्रीय हिस्सा 395.61 करोड़ रुपये है। जो डीओई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने और एनएचएम के लिए केंद्र और राज्य के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के खंडों का पालन न करने के कारण जारी नहीं किए गए हैं।

*****